रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222179
CG-DL-E-01102020-222179

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942
No. 487] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 597(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेलवे बोर्ड की आर्थिक इकाई के विविध संवर्ग में संयुक्त आर्थिक सलाहकार के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.- (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), आर्थिक इकाई में संयुक्त आर्थिक सलाहकार, भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उक्त पद से संबंधित अन्य मामले उक्त सूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **निरर्हता.-** कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हो, विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू होने वाली स्वीय विधि के अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहाँ केंद्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.–** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संयुक्त आर्थिक सलाहकार	1 (2020)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर– 13 (रु. 123100-215900).	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती हो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना हो
(10)	(11)
प्रोन्नति के द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) .	प्रोन्नति: उप आर्थिक सलाहकार (रेलवे बोर्ड) के रूप में नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स (रु. 78800-209200) में स्तर 12 में नियमित आधार पर 5 वर्ष की सेवा की हो;

	टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां, उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों के बारे में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों के वे अधिकारी, जिन्होंने: क.(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स (रु.78800-209200) अथवा उसके समतुल्य में स्तर 12 में नियुक्ति के पश्चात् 5 (पांच) वर्ष की सेवा की हो; और ख. (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा उसके समतुल्य से अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा गणित अथवा परिचालनिक अनुसंधान में मास्टर डिग्री प्राप्त की हो। (ii) परिवहन अर्थशास्त्र अथवा अवसंरचना परियोजानाओं अथवा आर्थिक योजना के क्षेत्र में कार्य करने का दस वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। **टिप्पण:1** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण:2** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण:3** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम

	आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना कैसी है .	ऐसी परिस्थितियां, जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है.
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:- (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष (ii) अपर सदस्य (बजट), रेलवे बोर्ड -सदस्य (iii) सचिव, रेलवे बोर्ड -सदस्य (iv) वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार या आर्थिक सलाहकार, रेलवे बोर्ड -सदस्य।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

[फा. सं. ईआरबी-I/2016/11/1]

एस. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2020

G.S.R. 597(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Economic Adviser in the Miscellaneous Cadre of Economic Unit of the Railway Board, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Railways (Railway Board), Joint Economic Adviser in Economic Unit, Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.-** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**– Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Joint Economic Adviser.	1 (2020)* *subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 13 (₹123100-215900).	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation (including short–term contract).	<u>**Promotion:**</u> Deputy Economic Adviser (Railway Board) with 5 (five) years' service rendered in level 12 in the Pay Matrix (₹ 78800-209200), after appointment thereto on a regular basis; **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. <u>**Deputation (including short term contract):**</u> Officers from the Central or State Governments or Union territories or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Autonomous or statutory Organisations:

	A.(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with 5 (five) years service in level 12 in the pay matrix (₹ 78800-209200) or equivalent, rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or department; And B.(i) possessing Master's degree in Economics or Statistics or Mathematics or Operational Research from a recognised University or equivalent. (ii) ten years experience of working in the field of transport economics or infrastructure projects or economic planning. **Note:1** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note:2** The period of deputation (including short–term contract) including period of deputation(including short–term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note:3** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short–term contract) shall not be exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman (ii) Additional Member (Budget), Railway Board -Member (iii) Secretary, Railway Board Member (iv) Senior Economic Adviser or Economic Adviser, Railway Board Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short–term contract).

[F. No. ERB-I/2016/11/1]

S. K. AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.10.01 17:38:45 +05'30'